भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2766

जिसका उत्तर 20दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

2766. डॉ. निशिकांत दुबे:
श्री मनोज तिवारी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेब जगत में हाल ही में हुए साइबर हमलों के मद्देनजर एक नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी वेबसाइटों पर किए गए उक्त साइबर हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का साइबर आतंकवाद के संबंध में एक वैश्विक कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय करने का विचार है;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क)से (ग): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय हो तथा अपने प्रयोक्ताओं के प्रति जवाबदेह हो। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 प्रकाशित की है ताकि नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस का निर्माण किया जा सके और साइबर स्पेस में सूचना और सूचना संबंधी अवसंरचना की रक्षा का मिशन, साइबर खतरों को रोकने और उनका पर प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमताओं का निर्माण किया जा सके, सुभेद्धताओ को कम किया जा सके और संस्थागत संरचनाओं, लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकीयों और सहयोग के संयोजन के माध्यम से साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 का मसौदा तैयार किया है, जो राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करता है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (अक्टूबर तक) के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार के संगठनों की वेबसाइट हैकिंग की कुल 110, 54, 59, 42, 50 और 70 घटनाएं देखी गईं।

(घ) और (ङ): मई 2021 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 75/282 के अनुसरण में, आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने हेतु एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को विस्तृत करने हेतु तदर्थ समिति के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के साथ एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई थी। भारत ने कन्वेंशन के तहत "साइबर आतंकवाद" के अपराधीकरण का प्रस्ताव दिया है।

****